

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 16.11.2018

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8399/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री भूषण पासवान, अ0जा0, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8400/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश कुमार वाजपेयी, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8401/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ब्रज मोहन मिश्र, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8402/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सतीश कुमार, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8403/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री बाबू जी सोरेन, अ0ज0जा0, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8403/ राँची, दिनांक-16.11.2018


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग/योजना-सह-वित्त विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/प्रधान आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव का कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरण्डा, राँची तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरान्त झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 8403/ राँची, दिनांक-16.11.2018

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


16.11.18
सरकार के अवर सचिव।